पोस्टमास्टर जनरल डाक ... के पत्र क्रमांक 22/15... दिनांक ...-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना डाक व्यय की पूर्व अदायगी ... डाक भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2007—आषाढ़ 5, शक 1929

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2007

क्र. एफ-5 (बी) 11-2001-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) भरती नियम, 2007" है;

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) सेवा या किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश;

(घ) "समिति" से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति/चयन समिति;

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा की भर्ती के लिये ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार.

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है, ऐसी जातियां मूलवंश या जनजाति या ऐसी जनजातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है, ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधीनस्थ कराधान (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन**.—इस सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से धारण कर रहे हैं;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि**.—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थाई या अस्थाई आधार पर, समय-समय पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका**.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अथवा साक्षात्कार द्वारा या दोनों से,

(ख) अनुसूची-चार में यथादर्शित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार किसी कर्मचारी के चयन द्वारा;

(घ) अन्य सेवाओं से पदों या व्यक्तियों के स्थानांतरण/संविलियन/प्रतिनियुक्ति द्वारा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाए गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.